



मध्यप्रदेश के मातृसंघीय / अशासकीय महाविद्यालय
की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए

मार्गदर्शिक सिद्धान्त

सत्र 2006 - 2007

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल - 462004

क्रमांक / 155 / 567 / आउशि / शाखा - 1 / 2006,

भोपाल, दिनांक 02-06-06

मध्यप्रदेश के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों
की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए
मार्गदर्शक सिद्धान्त सत्र 2006-2007

1-प्रयुक्ति

यह मार्गदर्शन सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक - 6 एवं 7 के प्रावधान के तहत सहपठित करते हुये लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। ये नियम विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालयों के उन पाठ्यक्रमों के लिए लागू नहीं होंगे जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश / नियम / विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों।

2-प्रवेश की तिथि

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जावेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन के पूर्व लगाई जावेगी। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा अर्हकारी परीक्षा उल्लेखित प्रमाणित किये जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन-पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना

स्थानांतरण प्रकरणों को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि के 10 दिन बाद तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन के बाद तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। केंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को आवेदित कक्षा में रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश

दिया जावे। इस हेतु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदक का प्रवेश निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व, अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही दिया जावेगा।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना

पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी, किन्तु वेधिकाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर तथा महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जावेगा।

2.4 स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश

पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर केंद्रिका 2.2 में ल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी। अन्य कक्षाओं में 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से अस्थायी प्रवेश देने हेतु प्राचार्य सक्षम होंगे तथा नियमित प्रवेश के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय में पूरक परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन, जो भी पहले हो, मान्य होगी।

परन्तु यह और भी स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये हायर सेकेण्डरी सेन्ट्रल बोर्ड+माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल) की परीक्षाओं में जिन छात्रों को पूरक की पात्रता आई थी तथा पूरक परीक्षा में उनके उत्तीर्ण होने पर छात्रों को प्रवेश हेतु पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के देनांक से 15 दिनों तक महाविद्यालय में नियमित प्रवेश स्थान रिक्त होने तथा गुणानुक्रम में आने पर प्राचार्य द्वारा दिया जा सकेगा।

1- प्रवेश संख्या का निर्धारण

महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था / प्रयोगशाला में उपलब्ध पकरण, उपलब्ध सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्र संख्या का निर्धारण करेंगे। तथापि प्राचार्य का यह अधिकार वहां लागू नहीं होगा जहां सीटों की संख्या का निर्णय शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार अधिकतम 80

(3)

विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। संबंधित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारण प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची

प्राचार्य द्वारा, प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी। प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक सौलभ्य प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित करने एवं जहां आवश्यक हो, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी।

निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये। घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रुपये 100/- जनभागीदारी मद में अतिरिक्त रूप से लेकर प्रवेश दिया जा सकेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 14 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

5. प्रवेश की पात्रता

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

(क) म. प्र. के मूल / स्थायी म. प्र. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन म. प्र. में हो, उनके पुत्र / पुत्रियाँ एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों / भूटान के छात्रों को तथा उनके आश्रितों को महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जावेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) संबंधित विश्वविद्यालय से या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों / महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(4)

(ग) कश्मीर के विस्थापितों के लिये निम्न प्रावधान लागू होगा-

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में 30 दिन की छूट।
2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत की छूट, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पात्रता की अन्य शर्तें पूरी होती हों।
3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
4. मूल निवासी अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
5. द्वितीय और आने वाले वर्षों में आवर्जन की सुविधा।

5.2 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी, किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं गृहविज्ञान संकाय में प्रवेश दिये जा सकेंगे। 10+2 परीक्षा का तात्पर्य म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों ली इंटरमीडिएट बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

(ख) 10+2 कृषि से उत्तीर्ण छात्रों को बी.एस.सी. प्रथम वर्ष जीव विज्ञान समूह में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ग) स्नातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित प्रवेश

(क) बी. कॉम.

एम. कॉम.

बी.एस.सी.

एम.एस.सी.

बी.एच.एस.सी.

एम.एच.एस.सी.

बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)

एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की

(ग) किसी भी विषय में स्नातक को एम. ए. में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय में नियमित प्रवेश

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एन. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम / द्वितीय एवं एल.एल.एम. पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल. बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल. एम. उत्तरार्द्ध में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 विधि संकाय में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा यदि प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40 प्रतिशत तथा जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता वहाँ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षा में 45 प्रतिशत प्राप्तांक होगी। विधि स्नातक प्रथम वर्ष में अनुसूचित जाति / जनजाति / निःशक्त वर्ग के विद्यार्थियों को न्यूनतम अंक सीमा में 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(ख) विधि स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 60 प्रतिशत रहेगी किन्तु अनुसूचित जाति / जनजाति / निःशक्त वर्ग के आवेदकों को पात्रता हेतु निर्धारित इस सीमा में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

6- समकक्ष परीक्षा

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस्त.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 की परीक्षाएँ म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएँ न. प्र. के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं।

6.3 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा / उपाधि मान्य नहीं है की जानकारी प्राचार्य संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त करे।

6.4 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय यथा लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लिनिकल बायोकैमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा

कम्प्यूटर से संबंधित विषय तथा प्रिंटिंग आफ डाटा-प्रोसेसिंग मैनेजमेंट सिस्टम एनालिसिस, टी.डी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग वर्ल्ड शाप प्रैक्टिस सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण छात्रों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे आवेदकों को प्रवेश आवेदन के साथ विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता / अर्हता प्रमाण-पत्र लगाना आवश्यक होगा।

किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता-पत्र को अंतिम माना जायेगा।

- 6.5 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की उत्तर मध्यमा परीक्षा को हायर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी. ए. / बी.काम. / बी.एससी. / बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से म. प्र. के किसी भी विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु संबंधित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों / विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 म. प्र. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक - स्तर की प्रथम वर्ष म.प्र.के अन्य / विश्वविद्यालयों / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषय / विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।
- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थाई प्रवेश की पात्रता

अस्थाई प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा / कम्पार्टमेंट प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे आवेदकों को प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम / द्वितीय / तृतीय में पूरक / एटी-वेटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक प्रथम / द्वितीय में निर्धारित एग्जिट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त केंद्रिका 7 के खंड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थाई प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थाई प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं का अस्थाई प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थाई प्रवेश, नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9- प्रवेश हेतु अर्हतायें

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित न होने / अध्ययन छोड़ देने / अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उससे प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमनुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिन आवेदकों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो / या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या सत्र में छात्रों / अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने के गंभीर आरोप हों / चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो तो ऐसे छात्र / छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत हैं।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़ फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले / रैगिंग के आरोपी छात्र / छात्राओं को प्रवेश न देने के लिये अधिकृत हैं।
- 9.4
- (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित प्रवेश हेतु महिला उम्मीदवारों को उच्चतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।
- (ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार / भारत सरकार के मंत्रालय कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेशी सरकार द्वारा अनुशंसित विदेशों से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेंट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(8)

- (ग) विधि सँकाय के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु सीमा का बंधन नहीं होगा।
- (घ) योग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयु सीमा का बंधन नहीं होगा।
- (ङ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग विद्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।
- (च) निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में 35 वर्ष होगी।
- (छ) 40 से 50 प्रतिशत विकलांगता वाले आवेदकों को विकलांग हेतु अधिकतम आयु सीमा स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 30 वर्ष से 03 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाए।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा। किसी सँकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र / छात्राओं को, (विधि सँकाय) को छोड़कर अन्य सँकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10- प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जावेगा।
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा से प्राप्तोंक एवं अधिभार देय हैं तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
- (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार।
- 10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11- प्रवेश हेतु प्राथमिकता

- 1.1 प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / स्वाध्यायी उत्तीर्ण विद्यार्थियों के क्रमानुसार रहेगा।
- 1.2 स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा - उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी, एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र / स्वाध्यायी छात्र।
- 1.3 विधि सँकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों से पहले उत्तीर्ण परन्तु 48 प्रतिशत एग्ग्रेगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे अन्य क्रम यथावत रहेगा।

- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा, उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान तहसील जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर तहसील / जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों से आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हे गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।

शासन द्वारा सँभाग स्तर पर घोषित उत्कृष्टता महाविद्यालय में उस सँभाग के सभी जिलों के छात्र / छात्राओं के आधार पर प्रवेश की पात्रता होगी।

- 11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश, महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12- आरक्षण मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा

- 12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.जा.जा.) के आवेदकों के लिए 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनशील होंगे।
- 12.2 पिछड़े वर्ग के (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र / पुत्रीयों, पौत्र और पौत्रियों को भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से अपंग हुए सैनिकों के पुत्र / पुत्रियाँ, भूतपूर्व तथा वर्तमान में कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों को तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जाये।

विकलांग आवेदकों को प्राप्तियों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का, सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधिक संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में से ही उपलब्ध कराया जाये।

भारतीय सेना के उक्त प्रकार के सेना कर्मियों / अधिकारियों के लिये प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा -

1. युद्ध के दौरान शहीद विधवायें एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत अथवा सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद, के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से अपंग तथा उनके आश्रित।
5. निम्नलिखित शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित, परमवीर चक्र, अशोक

चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल, सेना, नौसेना, वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।

6. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।

7. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

- 12.4 निःशक्तजन श्रेणी के आवेदक के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण उनके संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान में ही उपलब्ध कराया जावेगा। निःशक्तजनों के प्रवेश के समय अर्हतादायी अंको में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- 12.5 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.6 उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्त कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपातों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय / महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र / पुत्रियों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 2 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायें।
- 12.7 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी / ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जावेगी।
- 12.8 अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं ऐसे पाठ्यक्रमों में जहाँ प्रवेश किसी प्रवेश - परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है, वहाँ 20 प्रतिशत स्थान गैर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिये आरक्षित किए जायें।
- 12.9 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 प्रतिशत से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.10 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिये छात्र / छात्राएँ उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिये उपलब्ध रहेंगे।
- 12.11 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावे।

13- अधिभार

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जावेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जावेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रणाम पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जावेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार का लाभ देय होगा।

- 13.1 एन.सी.सी. / स्काउटस (स्काउटस शब्द को स्काउट / गाईडस / रेन्जर्स के अर्थ में पढा जावे)
- | | |
|--|------------|
| (क) एन.सी.सी. / एन.एस.एस. 'ए' सर्टीफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (ख) एन.सी.सी. / एन.एस.एस. 'बी' सर्टीफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस | 03 प्रतिशत |
| (ग) 'सी' सर्टीफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट | 04 प्रतिशत |
| (घ) राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता | 04 प्रतिशत |
| (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में म.प्र. के एन.सी.सी. कन्टिनजेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |
| (छ) राज्यपाल स्काउट | 05 प्रतिशत |
| (ज) राष्ट्रपति स्काउट | 10 प्रतिशत |
| (झ) न.प्र.का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट | 10 प्रतिशत |
| (य) डयुल आफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट | 15 प्रतिशत |
| (र) भारत व अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्चेंज प्रोग्राम | 15 प्रतिशत |
| (ड) एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले केडेड को अन्तरराष्ट्रीय जम्हुरी के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को | 10 प्रतिशत |
- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर। 10 प्रतिशत
- 13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम में प्रवेश देने पर 05 प्रतिशत
- 13.4 खेलकुद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं -
- (1) लोकशिक्षण संचालनालय अथवा म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -

- (क) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 02 प्रतिशत
 (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 04 प्रतिशत को -
- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग / राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय / राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्व-विद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा भारतीय अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्ता टीम के प्रत्येक सदस्य को - 06 प्रतिशत
 (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 07 प्रतिशत
 (ग) संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को - 15 प्रतिशत
 (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 12 प्रतिशत
 (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 10 प्रतिशत
- 13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युध अथवा साईन्स एवं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को - 10 प्रतिशत
- 13.6 मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(13)

- (क) म.प्र.का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को - 10 प्रतिशत
- (ख) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली म.प्र.की टीम के सदस्यों को - 12 प्रतिशत
- (ग) बशर्ते कि म.प्र.शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र संबंधित जिले के खेल अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा।
- 13.7 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को - 01 प्रतिशत
- 13.8 विशेष प्रोत्साहन एन0सी0सी0 के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स तथा ओलम्पिक / एशियाड / स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया एस0जी0एफ0आई0 द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे जिनकी उन्हें पात्रता है :-

बशर्ते कि -

- (1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो :एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय को प्रस्तुत किया है। परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिये उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कुल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक से प्रमाण पत्र / स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जावेंगे। स्नातक द्वितीय,तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु तब के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 - संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन

- (क) स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए, प्राप्तांको पर देय होगा।
- (ख) महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलंब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि 15

दिन तक ही दी जावेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15 - शोध छात्र

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जावेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्रों के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही अपना शोध कार्य संपादित करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिती प्रमाण पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र अपना कार्य चालु रख सकते हैं, जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध छात्र का शोध प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16 - विशेष

- 16.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर / गलत जानकारी देकर, जानबुझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी सनुचित कारण पूर्व अनुमति या सूचना के बिना, लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कैंडिडा 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र.भोपाल से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरसन / संलग्न का पूर्ण अधिकार म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

हस्ता.

(एस.डी.अग्रवाल)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 02-06-06

पृ.क्र./ 1156 / 762 / आउशि / शाखा-1 / 05

प्रतिलिपि

- 1 निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन।
- 2 स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 3 समस्त उप सचिव / अवर सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
- 4 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
- 5 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.की और सूचनार्थ उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को वितरित करने हेतु प्रेषित।
- 6 अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा शाखा - 13 को अशासकीय महाविद्यालयों को वितरित करने हेतु प्रेषित
- 7 समस्त कुलसचिव, मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय।
- 8 समस्त अधिकारी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।

हस्ता.

(डॉ. राधाबल्लभ शर्मा)

अतिरिक्त संचालक,

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश